

प्रारूप-51

परियोजना का नाम: -- जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के०वी० डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

Sachin
J.E.
400 KV D/C
VMTL

S/S
400 KV D/C
VMTL

A.C


ह०/-
Executive Engineer
Electy. 400 K.V. S/S Division
मुजफ्फरनगर रोड
Muza#arnagar

प्रारूप-52

परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 कें0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 268 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई / संख्या	नफल मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	अनुराशि (रु० में)
			ल०	चौ०	ऊँचाई				
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियादी खोदना	18	1.00	0.50	0.70	6.30	M ³	293.50	1849.05
2	आर०सी०सी० पिलर के वस पर चुना व कायला डालना	18	228 कोमल प्रणिमित			36	Rg	60/-	2160.00
			248 डुना - - -			36	Rg	15/-	540.00
3	124 सीमेंट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण	18	1.00	0.50	0.10	0.90	M ³		
		18	0.70	0.30	1.30	0.106			
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया क्रय करना		2.006 x 78.5 x 1.00%			2.25	Bundle	5965.05	14017.26
5	पिलर में 14 मसाले प्लास्टर कार्य	18 x 4	0.30	-	1.20	25.92	M ³		
		18 x 1	0.30	0.30	-	01.62			
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	18				18	No	1800/-	32400.00
7	पौड़ी की कुलाई आदि कार्य	18				18	No.	1800/-	32400.00

उपरोक्त कार्य के लिये आवश्यक नक़्काज का प्रस्ताव, पौड़ी
 जिला प्रमुख, पौड़ी
 जिला प्रमुख, पौड़ी
 जिला प्रमुख, पौड़ी

उपरोक्त कार्य के लिये आवश्यक नक़्काज का प्रस्ताव, पौड़ी
 जिला प्रमुख, पौड़ी
 जिला प्रमुख, पौड़ी
 जिला प्रमुख, पौड़ी

उपरोक्त कार्य के लिये आवश्यक नक़्काज का प्रस्ताव, पौड़ी
 जिला प्रमुख, पौड़ी
 जिला प्रमुख, पौड़ी
 जिला प्रमुख, पौड़ी

प्रारूप-53

परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट वि
प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के
स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि30.....वर्षों की लीज
पर ली जानी प्रस्तावित है।

Executive Engineer
Electrical & Mechanical Division
L.P.C.L. Jolly Road
Muzaffarnagar

Sachin
BE
OK VMZ

Sachin
J.E
9/10/10 DC
VMZ L.

उप प्रमाणित अधिकारी
गोड़ी उप वन प्रमाण
गोड़ी

उप वन अधिकारी
पौड़ी रेंज, नागदेव

ह0/-

उप वन संरक्षक
गडवाल रेंज, नागदेव, पौड़ी

प्रारूप-54

परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह0 /
उप वन संरक्षक
प्रभारित, पौड़ी

Sachdev
J.E
9/10/10 D/C
VMTL

S.S.P.
AF
VMTL
A.E

Dhar
वन क्षेत्राधिकारी
पौड़ी रेंज, नगरपालिका

उप प्रभारित वनाधिकारी
पौड़ी उप वन प्रयाग
पौड़ी

ह0 /
Executive Engineer
Electy. 400 K.V S/S Division
L.P.C.H. Road
Muzaffarnagar

प्रारूप-55

परियोजना का नाम: -- जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैंचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वन भूमि के ट्रीटमेन्ट हेतु कैंचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

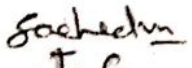

उप प्रशासकीय सहायक
पौड़ी उप वन प्रभाग
पौड़ी

ह0/-


Executive Engineer
L.P.P.C.L. Jolly,
Muzaffarnagar


S/O
Vmtc

ह0/-
उप वन संचालक
प्रशासकीय सहायक पौड़ी


J. E
Vmtc

A. E


उप सहायक
पौड़ी रेंज, नागदेव

प्रारूप-56

परियोजना का नाम: - जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति (यदि लागू हो) संलग्न की जाय। प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

संलग्न है।

Sachdev S
J.E.
qu R/O/C
VMTL

A.E


Executive Engineer
Electy. 400 K.V S/S Division
L.P.P.G.L. Jolly Road
Muzaffarnagar